भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1851
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

वयस्कों में विशिष्ट अधिगम विकलांगताएं

1851.श्री ई. तुकाराम:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वयस्कों में विशिष्ट अधिगम विकलांगता (एसएलडी) का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो समिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) वयस्कों में एसएलडी के मूल्यांकन के लिए नैदानिक परीक्षण की कमी को देखते हुए एसएलडी वाले व्यक्तियों, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के समय वयस्क थे, को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या मंत्रालय ने वयस्कों में एसएलडी के लिए नैदानिक परीक्षण विकसित करने हेतु अनुसंधान संबंधी निधि आवंटित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने वयस्कों में एसएलडी के लिए नैदानिक परीक्षण विकसित करने हेतु निमहान्स को नियुक्त करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी को कवर करते हुए) की धारा 34 (1)(घ) के तहत इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वर्षवार विभागवार और विकलांगतावार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।
(ख) : विभाग ने विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सीमा का आकलन करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। ये दिशा-निर्देश सभी आयु वर्गों में तब तक उपयोग किए जाएँगे जब तक बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए नए पैमाने तैयार और मान्य नहीं हो जाते।

(ग) : मंत्रालय ने सिपडा योजना के अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) घटक के तहत वयस्कों में विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं (एसएलडी) के लिए नैदानिक परीक्षण विकसित करने संबंधी अनुसंधान करने के लिए निधियां आबंटित की हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद द्वारा ''विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं वाले वयस्कों के लिए कंप्यूटर-आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का विकास'' नामक परियोजना को अनुमोदित किया गया है, जिसकी कुल परियोजना लागत 15.20 लाख रूपये है।

(घ) : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने उक्त उद्देश्य के लिए निमहान्स को नियुक्त नहीं किया है।

(ङ) : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 में ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक मंदता के लिए, सरकारी नौकरियों में, अन्यों के साथ-साथ, उक्त धारा के तहत यथा विनिर्दिष्ट आरक्षण का प्रावधान है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, धारा 34 (1) (घ) और (ङ) के तहत विनिर्दिष्ट श्रेणी के 389 व्यक्तियों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में रोजगार प्राप्त है।

*****